

## सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की बाईसवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 28 जून, 2024 को प्रातः 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल माध्यम से निम्नलिखित कार्य निपटान के लिए आयोजित की जाएगी:

- 31 मार्च 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा द्वारा संरक्षित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित करना।
- बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री देबाशीष मुखर्जी की पुनः नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देबाशीष मुखर्जी को बैंक के कार्यपालक निदेशक को बैंक के बोर्ड पर, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो 18.02.2023 को समाप्त हो रहा है, को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 31.05.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त किया जाता है।”

- बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री भवेन्द्र कुमार की नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भवेन्द्र कुमार की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, अर्थात् 09

## NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty-Second Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Friday, the 28<sup>th</sup> June 2024 at 10.30 A.M IST through Video Conferencing/Audio Visual Means, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31<sup>st</sup> March 2024, Profit & Loss account for the year ended 31<sup>st</sup> March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend for the financial year 2023-24.
- Re-appointment of Shri Debashish Mukherjee as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Re-appointment of Shri Debashish Mukherjee as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby re-appointed as Executive Director on the Board of the Bank, beyond his currently notified term which expires on 18.02.2023, till the date of his superannuation, i.e., 31.05.2025 or until further orders, whichever is earlier.”

- Appointment of Shri Bhavendra Kumar as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. Bhavendra Kumar as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central



अक्टूबर, 2023 से 08 अक्टूबर, 2026 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और एतद्द्वारा बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

5. बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से, अर्थात् 25 अक्टूबर, 2023 से अगले आदेश तक, बैंक के बोर्ड पर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 20.05.2024

Government, be and is hereby appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 09, 2023 to October 08, 2026, or until further orders, whichever is earlier.”

5. Appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as Govt. Nominee Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby appointed as Executive Director on the Board of the Bank, with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 25, 2023 until further orders.”

By Order of the Board of Directors

के. सत्यनारायण राजु

Place : Bengaluru

Date : 20.05.2024

K. SATYANARAYANA RAJU  
MANAGING DIRECTOR & CEO

## नोट

### 1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3 से 5 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

### 2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से वर्ष 2024 में कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की छूट दी है, जो 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बार्डसर्वी एजीएम का संचालन कर रहा है, जिसे "ई-एजीएम" कहा जाता है।

बैंक ने ई-एजीएम के संचालन के लिए वार्षिक आम बैठक और परिचर एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त किया है।

### 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

ए) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देगा।

बी) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर्स, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई-एजीएम में एफआईएफओ प्रवेश हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

सी) ई-एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना बैठक के क्रोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

डी) सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

## NOTES

### 1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 to 5 of the Notice is given separately.

### 2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide various circulars issued from time to time have extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2024 to conduct their AGMs on or before **30<sup>th</sup> September, 2024** in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the circulars, the Bank is conducting its 22<sup>nd</sup> AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

### 3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS(OAVM)

a) The VC / AVM would allow participation of at least 1000 members on first-come-first-serve basis.

b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

c) The attendance of members attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

d) The Members can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.



ई) सदस्य रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com/शेयरधारक/> सदस्य लॉगिन के तहत वीसी का उपयोग कर सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

एफ) सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।

जी) इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, और इसलिए सुचारू रूप से बैठक के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करें।

एच) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

ऐ) किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हितधारक आरटीए/ तकनीकी सहायता केंद्र से [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

#### 4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने प्रश्नों को अपने लॉगिन पेज <https://evoting.kfintech.com/>, उनके नाम, फोलियो/ डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर पंजीकरण पटल में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" पटल को **25 जून 2024 को सुबह 10 बजे से 26 जून 2024 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा**।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक की शंकाओं / विचारों / प्रश्नों के उत्तर की स्थिति में शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 21 जून 2024 तक शेयरों को होल्ड करना जारी रखता है।

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा चालू रखने की आवश्यकता है और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की

e) Members may access the VC at <https://emeetings.kfintech.com/> under Shareholders / members login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) Members are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.

g) Further, members will be required to allow camera, if any, and hence use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

i) The stakeholders may contact RTA/Technical helpdesk at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) for any assistance.

#### 4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The shareholders who would like to express their views/pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page <https://evoting.kfintech.com/>, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail ID and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from **10 A.M. IST on 25<sup>th</sup> June 2024 till 5 P.M. IST on 26<sup>th</sup> June 2024.**

Please note that, shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 21<sup>st</sup> June 2024.

Shareholders who wish to speak at the meeting will be required to allow camera and use internet with

बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेरधारक उसी पटल में दिए गए "स्पीकर पंजीकरण" विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से ही रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़नेवाले वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न करने के इच्छुक शेरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख पाएंगे।

## 5. प्रतिनिधि की नियुक्ति

जो शेरधारक व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकते हैं उनको प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि यह बैठक वीसी/एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेरधारक की भौतिक उपस्थिति नहीं होती, प्रतिनिधि की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस बैठक में शेरधारक द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

## 6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो बैंक का शेरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के साथ प्रमाणित न किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् सोमवार, 24 जून, 2024 को जमा किया जाना है।

a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration."

Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches. Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail ID, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

## 5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC/AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders would not be available for this meeting.

## 6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before Monday, the 24<sup>th</sup> June, 2024.



## 7. शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

**केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड**

**इकाई : केनरा बैंक**

**सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32**

**गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा**

**हैदराबाद - 500 032**

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को शेयर ट्रांसफर एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) पर सूचित / पंजीकृत करें।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों/ई-मेल आईडी को केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

## 8. रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने 08.05.2024 को वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की सिफारिश की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। 15.05.2024 से बैंक के शेयरों को 1:5 के अनुपात में उप-विभाजन किया गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए शेयरधारकों को प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 2/- रुपये के अंकित मूल्य का 161%) के रूप में 3.22 रुपये के लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 17 जून 2024 (इसके बाद रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वार्षिक आम बैठक (28 जून 2024) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

बैंक जहां भी संभव हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें और शीघ्र ही एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम से जमा लाभांश

## 7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

**KFin Technologies Limited**

**Unit : Canara Bank**

**Selenium Tower B, Plot No. 31-32**

**Gachibowli, Financial District, Nanakramguda**

**HYDERABAD - 500 032**

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com).

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

## 8. RECORD DATE

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend on 08.05.2024 for the year 2023-24, subject to approval of shareholders at the AGM. Shares of the bank have undergone a sub-division in the ratio of 1:5 with effect from 15.05.2024. Accordingly, it has been decided to pay a dividend of ₹3.22 per equity share (i.e 161% of face value of ₹2/- each) to the Shareholders for the year 2023-24 to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on 17<sup>th</sup> June 2024, (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (28<sup>th</sup> June 2024).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding

राशि सुनिश्चित करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क करें।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक अधिदेश का विवरण बैंक के सचिवालय विभाग या इस नोटिस में दिए गए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पते पर प्रस्तुत / अद्यतन करना चाहिए।

## 9. लाभांश भुगतान पर कर

ए) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश पर आयकर देय होगा और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन को बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अद्यतन करें।

बी) वैध पैन के साथ निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्रोत पर कर की कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म नंबर 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें, यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो 20% की उच्च दर से कर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के शर्त पर, भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जिसे संबंधित दस्तावेजों/घोषणाओं को प्रस्तुत करके या तो दस्तावेजों/प्रपत्रों को अपलोड करके या ईमेल भेजकर या प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रपत्रों की कागजी प्रति जैसे आवश्यक दातावेजों को प्रेषित कर संधि का लाभ उठाया जा सकता है, जो आरटीए की वेबसाइट ([www.kfintech.com](http://www.kfintech.com)) पर उपलब्ध हैं।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त टीडीएस/कर कटौती पर रोक निर्धारित करने और कटौती करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को आरटीए की

the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

## 9. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA ([www.kfintech.com](http://www.kfintech.com)).

c) The shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), 17<sup>th</sup> June 2024 on the website of the RTA viz. <https://ris.kfintech.com/form15>



वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/form15> पर शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय), 17.06.2024 तक अपलोड करें या [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) ई-मेल करें।

डी) केवल डाक / कूरियर या पंजीकृत ई-मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल कागजी प्रति भेज रहा है) हमारे आरटीए को ऊपर दिये गए पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। 17.06.2024 बाद कर निर्धारण/ कटौती पर कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है/पिछली अवधि अर्थात 2016-17 व 2021-22 तथा 2022-23 के लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लिकेट लाभांश वारंट के पुनर्वैधीकरण/जारी करने, खातों में लाभांश के प्रत्यक्ष जमा हेतु बैंक खातों के अद्यतन के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट अर्थात [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com) पर पोस्ट किया है ताकि शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक के साथ [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) पर संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावी लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में 2016-17 का आईईपीएफ का कोई अदावी/अवैतनिक लाभांश राशि हस्तांतरित हेतु देय होगा।

## 11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट ([www.canarabank.com](http://www.canarabank.com)) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसका पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और <https://evoting.kfintech.com/> पर भी देखा जा सकता है।

or e-mail them at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post 17.06.2024.

## 10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2016-17, 2021-22 and 2022-23, are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Bank for updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com) to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com).

*As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The unpaid dividend pertaining to the financial year 2016-17 is due to be transferred to IEPF this financial year.*

## 11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the Shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank ([www.canarabank.com](http://www.canarabank.com)). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and <https://evoting.kfintech.com/> respectively.



## 12. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

## 13. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा शुक्रवार, 21 जून 2024 को निर्दिष्ट तिथि (तिथियों) के रूप में धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी। निर्दिष्ट तिथि (तिथियों) के अनुसार भौतिक या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक, नोटिस की कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

ए. ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें:  
<https://evoting.kfintech.com>

बी. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।

सी. जिन लोगों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया:

सकती है। कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान किया जा सकता है, लिंक भेजने के लिए: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx> पर क्लिक करके। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) को लिख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक

## 12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

## 13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The e-voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, 21st June 2024 being the Cut-off date(s). Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting:  
<https://evoting.kfintech.com>

b. Enter the login credentials

Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.

c. **Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail address are not registered:**

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence, the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com). Alternatively, member may send an e-mail request at the e-mail ID [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) along with scanned copy of the signed copy of the request



फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com ई-मेल आईडी पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

डी. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

ई. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक वैल्यू (0-9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई-मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से ध्यान दें कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

एफ. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको ईवीईएनटी, अर्थात केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।

एच. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तिथि (21 जून, 2024) के अनुसार शेरधारक द्वारा धारित शेरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति/असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेरों को दर्ज करें और जैसा भी मामला हो, "FOR" / "AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR / AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।

ऐ. ऐसे शेरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया

letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.

h. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (21<sup>st</sup> June, 2024) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholder

का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

- जे. संस्थागत शेयरधारक जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, (अर्थात् व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) पर ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।
- के. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### एल. रिमोट ई-वोटिंग अवधि:

यह पोर्टल मंगलवार, 25 जून, 2024 को सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक एवं गुरुवार, 27 जून, 2024 सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) वोटिंग के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

- एम. किसी भी प्रकार के पृष्ठताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का संदर्भ लें या केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री एस वी राजू / श्री बालाजी रेड्डी से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि हमारे आरटीए, केफिन्टेक के पास भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए 'KPRISM' नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट <https://kprism.kfintech.com/> है। सदस्य प्ले स्टोर से इस एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और केफिन्टेक द्वारा सेवित अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य निवेशक सेवा केंद्र (आईएससी) वेबपेज, <https://ris.kfintech.com/clientservices/ISC/default.aspx> पर भी जा सकते हैं और उन सेवाओं की सूची जैसे पोस्ट या क्वेरी ट्रैक करना, कर छूट फॉर्म अपलोड करना, डीमैट / रिमैट अनुरोध देखना, लाभांश की स्थिति का पता करना और आवश्यक आईएसआर फॉर्म डाउनलोड करना और प्रसंस्करण निवेशक अनुरोधों के लिए सामान्य सरलीकृत मानदंड (सेबी परिपत्र दिनांक 03 नवंबर 2021 और 16 मार्च 2023) के अनुसार भौतिक फोलियो के लिए केवाईसी की स्थिति की पता करना आदि से लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें पृष्ठ से निष्पादित किया जा सकता है।

- एन. यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

- j. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net).
- k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

### l. Remote e-Voting Period :

The portal will remain open for voting from: 09.00 a.m. on Tuesday, the 25<sup>th</sup> June, 2024 to 5.00 p.m. on Thursday, the 27<sup>th</sup> June, 2024 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter..

- m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju /Mr. Balaji Reddy of KFin Technologies Limited at 1800 309 4001 (toll free).

Members are requested to note that our RTA, KFINTECH has a mobile app named 'KPRISM' and a website <https://kprism.kfintech.com/> for the members holding shares in physical form. Members can download this Android mobile application from Play store and view their portfolios serviced by KFINTECH. In addition, members can also visit the Investor Service Center (ISC) webpage, <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> and get benefited from the list of services that can be executed from the page like post or track a query, upload tax exemptions forms, view the demat / remat request, check the dividend status and download the required ISR forms and check KYC status for physical folios, as per the Common Simplified Norms for processing investor requests (SEBI Circular dated 03 Nov 2021 and March 16 2023).

- n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

वो. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक आम बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

**निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सूचना दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

निक्षेपागार के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

**The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:**

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. IDeAS सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल: <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a></li> <li>'IDeAS' के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।</li> <li>नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "Access to e-Voting" पर क्लिक करें</li> <li>रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</li> </ul>	<p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने EASI / EASIEST का विकल्प चुना है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> or <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></li> <li>नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें</li> <li>यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।</li> <li>बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।</li> <li>अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।</li> </ul>
<p>2. IDeAS ई-सेवाओं के लिए प्रयोक्ता पंजीकृत नहीं है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a></li> <li>"Register Online for IDeAS" का चयन करें</li> <li>वैकल्पिक तौर पर आवश्यक विवरणी दर्ज करें विकल्पतः,</li> <li>पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: <a href="https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> <li>आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।</li> </ul>	<p>2. प्रयोक्ता जो EASI/EASIEST के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पंजीकरण करने का विकल्प <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a> पर उपलब्ध है</li> <li>आवश्यक मद्दों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।</li> </ul>
<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल: <a href="https://www.evoting.nsd.com/">https://www.evoting.nsd.com/</a></li> <li>शेयरधारक/सदस्य' भाग के तहत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें।</li> <li>यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में दर्ज 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करें।</li> <li>सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं।</li> <li>रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</li> </ul>	<p>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></li> <li>डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें</li> <li>सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा।</li> <li>सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रहा होगा।</li> </ul>

NSDL	CDSL
<p><b>1. User already registered for IDeAS facility:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></li> <li>• Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section.</li> <li>• On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting”</li> <li>• Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</li> </ul>	<p><b>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> or <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></li> <li>• Click on New System Myeasi</li> <li>• Login with User ID and Password.</li> <li>• Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</li> <li>• Click on e-Voting service provider name to cast your vote.</li> </ul>
<p><b>2. User not registered for IDeAS e-Services</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></li> <li>• Select “Register Online for IDeAS”</li> <li>• Proceed with completing the required fields. Alternatively,</li> <li>• To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> <li>• Proceed with completing the required fields.</li> </ul>	<p><b>2. User not registered for Easi/Easiest</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Option to register is available at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a></li> <li>• Proceed with completing the required fields.</li> </ul>
<p><b>3. By visiting the e-Voting website of NSDL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a></li> <li>• Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.</li> <li>• Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</li> <li>• Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</li> <li>• Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period</li> </ul>	<p><b>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></li> <li>• Provide demat Account Number and PAN No.</li> <li>• System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile &amp; E-mail as recorded in the demat Account.</li> <li>• After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress</li> </ul>

**महत्वपूर्ण सूचना:** जो सदस्य प्रयोक्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाना है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

निर्देशांगार के माध्यम से लॉगिन से संबंधित अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध है:

**Important note:** Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने पर सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com या संपर्क 022-23058738 और 022-23058542-43 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना पर सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

#### निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

#### **14. बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली**

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की अनुमति होगी। ई-वोटिंग प्रणाली में उल्लिखित निर्देशों का पालन कर वीसी / एवीएम में लॉगइन करने के पश्चात शेयरधारक बैठक के दौरान उपलब्ध <https://emeetings.kfintech.com/> लिंक पर क्लिक करके वोटिंग कर सकते हैं।

#### **15. वोटिंग/पोल में संवीक्षक**

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और

#### The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

#### **14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING**

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC / AVN by following the instructions mentioned therein.

#### **15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL**

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote



ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

## 16. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी और इसे बैंक, शेयर बाजार और केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

### मद सं. 3

श्री देबाशीष मुखर्जी को एफ नंबर 4/5(1)2017-बीओआई, दिनांक 19 फरवरी 2018 के माध्यम से 19.02.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद अधिसूचना संख्या एफ नंबर 4/5/2017-बीओआई दिनांक 10 अक्टूबर 2020 के माध्यम से उनका कार्यकाल दिनांक 18.02.2021 से दो साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद अधिसूचना संख्या ईएफ संख्या 4/5/2017-बीओआई दिनांक 26 सितंबर 2022 के माध्यम से, उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् दिनांक 31.05.2025 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, बैंक में श्री देबाशीष मुखर्जी का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक है।

1 अप्रैल, 2024 से सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(1डी) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में सेवारत निदेशक की निरंतरता, जैसा भी मामला हो, उनकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से हर पांच साल में कम से कम एक बार शेयरधारकों की सामान्य बैठक में अनुमोदन के अधीन होगी।

तदनुसार, बैंक पांच साल की अवधि से अधिक के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री देबाशीष मुखर्जी के कार्यकाल के लिए बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी मांग रहा है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री देबाशीष मुखर्जी की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पढ़ी गई है, जो इसके बाद इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दी गई है।

हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री देबाशीष मुखर्जी, कोलकाता विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए हैं। उन्होंने 1994 में पंजाब नेशनल बैंक में वेतनमान II में वित्तीय विश्लेषक के रूप में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया है।

उन्होंने वर्ष 2006 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक (क्रेडिट) के रूप में कार्य ग्रहण किया था। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, कोलकाता में कॉर्पोरेट वित्त शाखा के प्रमुख और बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी रहे। वर्ष 2012 में उन्हें

e-voting and e-voting in respect of all the agenda items items of the meeting.

## 16. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

### ITEM No. 3

Shri. Debashish Mukherjee was appointed as an Executive Director of the Bank on 19.02.2018 vide F.No. 4/5(1)2017-BO.I, dated 19<sup>th</sup> February 2018. Subsequently vide notification No. F. No.4/5/2017-BO.I dated 10<sup>th</sup> October 2020 his tenure was extended for two years beyond 18.02.2021. Subsequently vide Notification No. eF. No.4/5/2017-BO.I dated 26<sup>th</sup> September 2022, his tenure was extended till the date of his superannuation i.e 31.05.2025. Thus, the tenure of Shri Debashish Mukherjee with the Bank exceeds a period of five years.

Pursuant to Regulation 17(1D) of SEBI (LODR) Regulations, with effect from April 1, 2024, the continuation of a director serving on the Board of directors of a listed entity shall be subject to the approval by the shareholders in a general meeting at least once in every five years from the date of their appointment or reappointment, as the case may be.

Accordingly, the Bank is seeking approval of the Shareholders of the Bank for Shri Debashish Mukherjee's tenure as an Executive Director of the Bank beyond a period of five years.

Brief profile of Shri. Debashish Mukherjee in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri. Debashish Mukherjee, Executive Director of our Bank, is an MBA in Finance from the University of Kolkata. He started his Banking career with Punjab National Bank as a Financial Analyst in Scale II in 1994.

He joined United Bank of India as an Assistant General Manager (Credit) in the year 2006. He worked in various capacities at Regional Offices, headed Corporate Finance Branch at Kolkata and was Regional Manager of Bihar



महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उनके पास कॉर्पोरेट क्रेडिट में व्यापक अनुभव है और उन्होंने 5 वर्षों से अधिक समय तक महाप्रबंधक (क्रेडिट) के रूप में काम किया है। इसके बाद उन्होंने महाप्रबंधक (वसूली एवं क्रेडिट निगरानी) के रूप में काम किया है।

श्री देबाशीष मुखर्जी को दिनांक 19.02.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 27.09.2022 को एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कार्यकाल सेवानिवृत्ति तक, अर्थात् दिनांक 31.05.2025 तक बढ़ा दिया गया था।

#### मद संख्या 4

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (a) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा श्री भवेन्द्र कुमार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, अर्थात् 09 अक्टूबर, 2023 से 08 अक्टूबर, 2026 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री भवेन्द्र कुमार की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

श्री भवेन्द्र कुमार 10/03/1997 को परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में केनरा बैंक में कार्यग्रहण किया है। उनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स) की डिग्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) का प्रमाणित एसोसिएट है। बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और नई दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदों पर काम किया है। 3 वर्ष की अवधि के लिए उन्होंने केनरा बैंक, शंघाई शाखा में भी काम किया है।

Region. He got elevated as General Manager in 2012. He has vast experience in Corporate Credit and worked as GM (Credit) for more than 5 years. He worked as GM (Recovery & Credit Monitoring) thereafter.

Shri. Debashish Mukherjee was appointed as Executive Director of the Bank on 19.02.2018. On 27.09.2022 vide a Govt. notification, the tenure was extended till superannuation, ie up to 31.05.2025.

#### ITEM No. 4

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the provision to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. Bhavendra Kumar has been appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 09, 2023 to October 08, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Bhavendra Kumar in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri Bhavendra Kumar joined Canara Bank on 10/03/1997 as Probationary Officer. He holds a Bachelor of Arts (Hons) degree and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). During the course of Banking career, he has worked in different capacities in different states such as Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka & New Delhi. He has also worked in Canara Bank, Shanghai Branch for a period of 3 years.



वर्ष 2020 में महाप्रबंधक बनने पर, उन्हें बेंगलूरु में बैंक के प्रधान कार्यालय में तैनात किया गया और वह बैंक के स्वर्ण ऋण विभाग का नेतृत्व किया है। उन्हें वर्ष 2021 में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था और कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने तक वे 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ दिल्ली अंचल कार्यालय का नेतृत्व भी किया।

श्री भवेंद्र कुमार ने दिनांक 09.10.2023 को प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट किया और वित्तीय सेवाएं विभाग अधिसूचना ईएफ संख्या 4/1(vii)/2023 बीओआई दिनांक 09.10.2023 के अनुसार केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

## मद संख्या 5

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रशांत कुमार गोयल को पदभार ग्रहण करने की तिथि से, अर्थात् 25 अक्टूबर, 2023 से या अगले आदेश तक, बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री प्रशांत कुमार गोयल की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, आईएएस (त्रिपुरा 2007) वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय समावेशन (एफआई) और डिजिटल भुगतान से संबंधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित कई विषयों को संभाला था।

On becoming General Manager in 2020, he was posted to the Head Office of the Bank at Bengaluru and was heading the Gold Loan Wing of the Bank. He was promoted to Chief General Manager in 2021 and was heading Delhi Circle Office with a business of more than 2.5 lakh crore rupees until he was elevated to the post of Executive Director.

Shri Bhavendra Kumar reported to Head Office on 09.10.2023 and assumed charge of Executive Director of Canara Bank as per the Dept. of Financial Service notification eF. No. 4/1(vii)/2023 – BO.I dated 09.10.2023.

## ITEM No. 5

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. Parshant Kumar Goyal has been appointed as Govt. Nominee Director of the Bank, with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 25, 2023 or until further orders.

Brief profile of Shri. Parshant Kumar Goyal in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Dr. Parshant Kumar Goyal, IAS (Tripura 2007) presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India dealing with Financial Inclusion (FI) and Digital Payments. During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC) and Regional Rural Banks (RRBs).

पहले उन्हें सचिव, जीए (सी एंड सी) विभाग और सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में तैनात किया गया था। डॉ प्रशांत कुमार गोयल ने पंजाबी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस किया है। उनके पास पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में काम करने का भी समृद्ध अनुभव है।

He was earlier posted as Secretary to Chief Minister, Tripura with additional charges of Secretary, GA (C&C) Department and Secretary, Industries & Commerce Department. Dr. Parshant Kumar Goyal has done MBBS from Punjabi University. He also has a rich experience of working in Education sector in States of Punjab & Tripura.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 20.05.2024

By Order of the Board of Directors



K. SATYANARAYANA RAJU  
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru  
Date : 20.05.2024